Banks
Board
Bureau

बैंक बोर्ड ब्यूरो

वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020

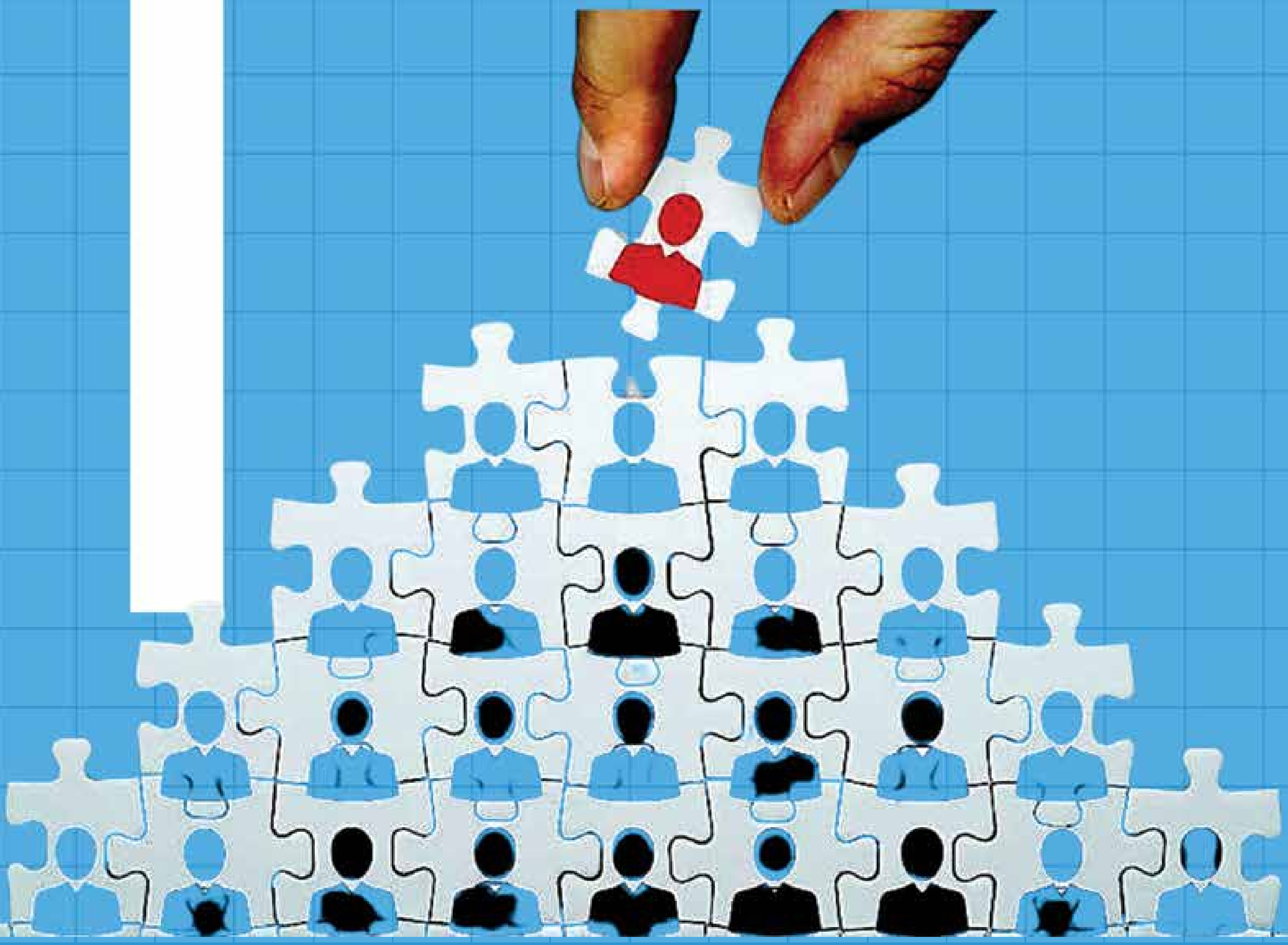

विषय-वस्तु

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
I.	बोर्ड	3
II.	सचिवालय में प्रधान अधिकारी	4
III.	संक्षिप्त विवरण	5
IV.	संस्थापना और प्रकार्य	9
V.	नियुक्ति हेतु संस्तुतियां	11
VI.	आयोजन और मुलाकातें	13
VII.	लीडरशिप विकास कार्यक्रम	18
VIII.	अभिशासन के बारे में संस्तुतियां	22
IX.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	26
X.	डेटाबेस, विश्लेषण और आईटी प्रणाली	27
XI.	प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा	29

संक्षेपाक्षरों की सूची

एसीसी	कैबिनेट की नियुक्ति समिति
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
सीएमडी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीएमडी	उप प्रबंध निदेशक
एफआई	देखिए पीएसएफआई
जीएम	महाप्रबंधक
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईआईएफसीएल	इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी लिमिटेड
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआरडीएआई	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
एलडीपी	लीडरशिप विकास कार्यक्रम
एमडी	प्रबंध निदेशक
एमडी एण्ड सीईओ	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एमओएफ	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनईसी	गैर कार्यपालक अध्यक्ष
एनओडी	गैर-पदाधिकारी निदेशक
एनआरसी	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
पीएसआईसी	सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसएफआई	सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं
आरएमसीबी	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
डब्ल्यूटीडी	पूर्णकालिक निदेशक

I. बोर्ड

भानु प्रताप शर्मा
अध्यक्ष

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं	सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियां
देबाशीष पांडा* सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग **पदेन सदस्य**	**देबाशीष पांडा*** सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग **पदेन सदस्य**
शैलेश @ सचिव लोक उद्यम विभाग **पदेन सदस्य**	**डा. एस. सी. खुंटिआ** अध्यक्ष भाबीविविप्रा **पदेन सदस्य**
एम्. राजेश्वर राव# उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक **पदेन सदस्य**	**शैलेश** @ सचिव लोक उद्यम विभाग **पदेन सदस्य**
वेदिका भंडारकर पूर्व वाइस चेयरमैन और एमडी क्रेडिट सुइसे **विशेषज्ञ सदस्य**	**ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी** पूर्व अध्यक्ष सेबी और भारतीय जीवन बीमा निगम **विशेषज्ञ सदस्य**
प्रदीप कुमार पांजा पूर्व एमडी भारतीय स्टेट बैंक **विशेषज्ञ सदस्य**	**मैथ्यू वर्गीस** पूर्व महाप्रबंधक न्यू इंडिया एश्यूरेन्स कंम्पनी लि. **विशेषज्ञ सदस्य**
प्रदीप पन्नालाल शाह संस्थापक एमडी क्रिसिल **विशेषज्ञ सदस्य**	**एन. एम. गोवर्धन**& पूर्व अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम **विशेषज्ञ सदस्य**

* राजीव कुमार 29 फरवरी 2020 तक पदेन सदस्य थे।
@ एस. बहुगुणा 30 सितम्बर 2019 तक पदेन सदस्य थी।
# एन एस विश्वनाथन 31 मार्च 2020 तक सदस्य थे। एम के जैन 11 नवम्बर 2020 तक सदस्य थे।
& एन. एम. गोवर्धन 3 अगस्त 2020 को विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

II. सचिवालय में प्रधान अधिकारी

सचिव
डॉ. विजय सिंह शेखावत, महाप्रबंधक (9 अगस्त, 2019 से)
नवीन नाम्बियार, महाप्रबंधक (8 अगस्त, 2019 तक)

सहायक महाप्रबंधक
क्षितिज सिंह
ऋषभ गर्ग

प्रबंधक
सावित्री रमेश (29 मई 2020 तक)

सहायक प्रबंधक
देवांश रावत (08 जनवरी 2020 से)

सचिवालय में कार्यरत सभी स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से हैं।

III. संक्षिप्त विवरण

यह ब्यूरो भारत सरकार का स्वायत्तशासी निकाय है, जिसकी स्थापना सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल विस्तार और समापन हेतु उचित पद्धतियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए की गई। इस ब्यूरो को इन संस्थानों के प्रबंधन संरचनाओं, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करने और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए आचरण और नैतिकता संहिता को निरूपण और प्रवर्तन का अधिदेश दिया गया है। ब्यूरो के अधिदेश का नवम्बर 2019 में विस्तार किया गया ताकि सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति को भी शामिल किया जा सके।

वर्ष 2019-20 के दौरान अधिदेशित संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों हेतु 34 नियुक्तियों की संस्तुति ब्यूरो द्वारा की गई। ये संस्तुतियां करने में औसतन 45 दिन का समय लगा। इन 34 संस्तुतियों में से संस्तुत पदों पर सरकार द्वारा 31 (91 प्रतिशत) नियुक्तियां की गईं। सभी मामलों में जहां नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार आवश्यक था, परिणामों को अंतिम रूप देने के कुछ ही घंटों के भीतर ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। परिणाम को अंतिम रूप देने के कुछ मिनटों के भीतर ब्यूरो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इसे प्रकाशित किया गया।

जब रिक्तियों को आंतरिक अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना था तो संस्तुति में औसतन 32 दिन का समय लगा, जबकि खुले विज्ञापनों से रिक्तियों को भरने का काम 53 दिन में पूरा हुआ। संस्तुत पद पर अभ्यर्थियों की वास्तविक नियुक्तियां इस ब्यूरो द्वारा संस्तुति की तारीख के बाद औसतन 3 माह के समय में कर दी गईं। ब्यूरो ने 126 अभ्यर्थियों के साथ वार्तालाप किए और इस प्रकार प्रत्येक रिक्ति के लिए पाँच अभ्यर्थियों का औसत अनुपात रखा गया।

वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में से किसी भी बोर्ड स्तरीय आने वाले सभी अभ्यर्थियों का सक्षमता आकलन भी आरंभ किया। इससे पहले ये आकलन केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों हेतु ही किए जाते थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में किसी भी पद पर निजी क्षेत्र से आने वाले सभी अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि की जांच भी ब्यूरो द्वारा आरंभ की गई। इन अतिरिक्त परीक्षणों के बावजूद इस ब्यूरो ने संस्तुतियां करने में लगने वाले औसत समय को 2019-20 के दौरान 45 दिन कर लिया जो कि 2018-19 में 71 दिन हुआ करता था। संस्तुतियों में लगने वाले समय में यह कमी संवीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार और प्रौद्योगिकी का सहारा लेने से हुई। इसके अलावा कार्यपालक निदेशकों की सभी रिक्तियों को समामेलित हो रहे बैंकों से कार्यपालकों की

1. भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, दि न्यू इंडिया एश्यूरेन्स कम्पनी लि., दि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि., दि ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. और भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि.
2. रिक्तियों की अधिसूचना की तारीख और संस्तुति की तारीख के बीच के दिनों का अंतर।

लेटरल शिफ्टिंग द्वारा भरा गया।

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक / मुख्य प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष हेतु संस्तुति करने में लगने वाले औसत समय को 89 दिन से घटाकर 2019 में 32 दिन किया गया और ईडी तथा समतुल्य पदों के लिए इसे 60 दिन से घटाकर 55 दिन कर लिया गया।

यद्यपि वर्ष के दौरान नियुक्तियों पर फोकस बना रहा, तथापि ब्यूरो ने वर्ष 2016 में जो विभिन्न संस्तुतियां की थीं, उनका भी अनुगमन किया गया और उन्हें परिष्कृत किया, खासकर अभिशासन से संबद्ध संस्तुतियों के संदर्भ में। इनमें से कुछ संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया और वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन सुधारों के एक हिस्से के तौर पर अधिसूचित किया गया।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लीडरों की क्रमागत व्यवस्था का सृजन करने हेतु ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019-20 में लीडरशिप विकास कार्यक्रम का सृजन और शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम में ऑन-कैम्पस, ऑनलाइन और ऑफ कैम्पस अंतःक्षेप का प्रयोग करते हुए तकनीकी दक्षता बढ़ाने, मार्केट जागरुकता का विस्तार करने और लीडरशिप गुणवत्ता की बढ़ोतरी की जाती है। इस कार्यक्रम का डिजाइन मैसर्स इगॉन जेहेन्डर ने तैयार किया और प्रस्तुति आईआईएम बंगलौर और इसके सहयोगियों द्वारा की गई। लीडरशिप विकास कार्यक्रम के प्रथम बैच में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 75 उप महाप्रबन्धक/महाप्रबंधक शामिल हुए और कार्यक्रम जुलाई 2020 में पूरा हुआ।

इसी कार्यक्रम के एक सह-आयोजन के रूप में मैसर्स केपीएमजी और आईआईएम बंगलौर द्वारा डिस्कवरी दिवस इवेन्ट की डिजाइन और प्रस्तुति की गई, जिसमें सन 2019-20 में विभिन्न बैंकों के समामेलन से पैदा होने वाले अवसरों और चुनौतियों पर फोकस किया गया। डिस्कवरी दिवस के एक हिस्से के तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों का सर्वेक्षण किया गया ताकि संस्थागत संस्कृति के विभेदों का विवेचन हो सके। इन निष्कर्षों से प्रकट होता है कि सर्वे किए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में संस्थागत संस्कृति मिलती जुलती

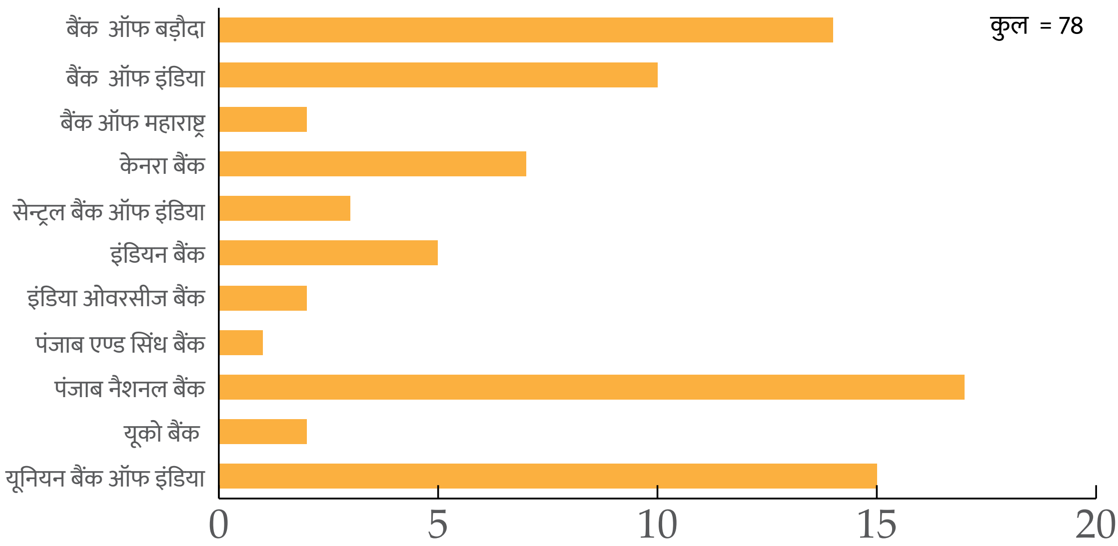

एलडीपी के सहभागियों की संख्या

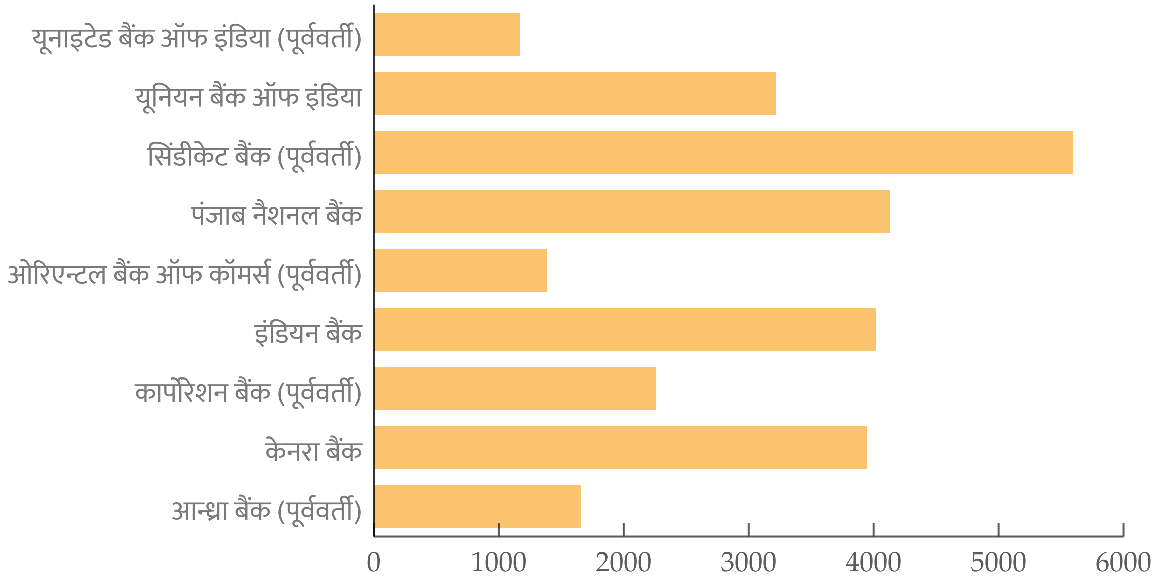

संगठनात्मक संस्कृति हेतु प्रतिसाद

है, कुछ सांस्कृतिक विशिष्टतागत विभिन्नता है लेकिन वह भी एकमेक होने की प्रवृत्ति दिखाती है। इस सर्वे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लगभग 25,000 अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी स्तरों और प्रदेशों का प्रतिनिधित्व रहा।

लाइव प्रोजेक्ट इस लीडरशिप विकास कार्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जिसमें 18 प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं, जिनका फोकस सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए विशिष्ट परिणाम हासिल करने पर है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों ने इन लाइव प्रोजेक्टों की बहुत सराहना की क्योंकि इनका प्रभाव कुल 4265 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर नई प्रक्रियाएं अपनाते हुए गैर निष्पादक आस्तियों को कम करने, लागत कम करने और दक्षता में सुधार पर है।

सितम्बर 2020 में 66 अधिकारियों के साथ द्वितीय बैच का आरंभ हुआ। इस बैच में एक्जिम बैंक के अधिकारी भी शामिल हुए। विश्वव्यापी महामारी के प्रति सतर्कता रखते हुए ब्यूरो ने

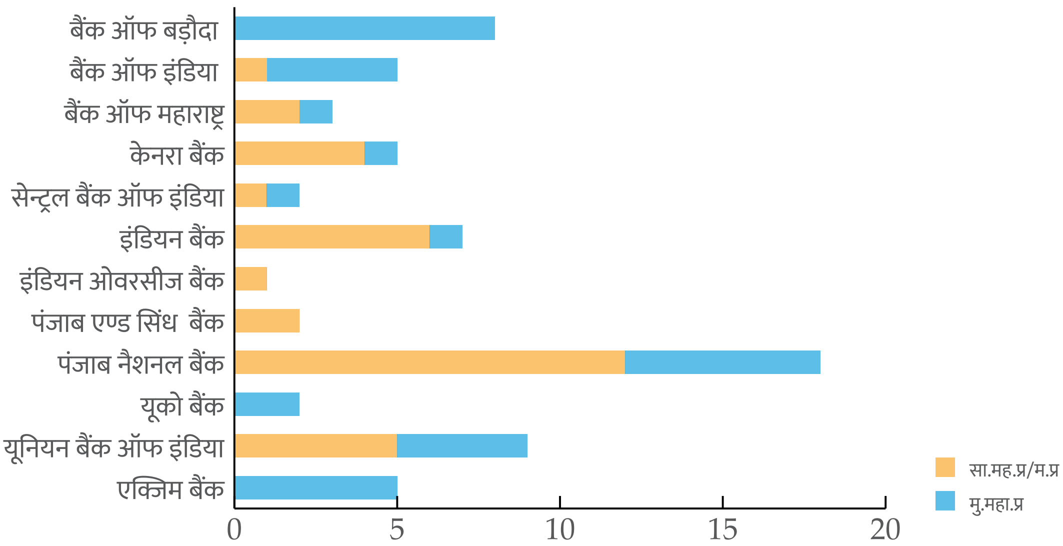

एलडीपी के द्वितीय बैच के सहभागी

प्रशासनिक पक्ष में वीडियो सम्मलेन प्रणाली, ई-साइनिंग क्षमताओं का अधिक्रय किया और विधिक प्रलेखन विकसित किया और दूरस्थ वार्तालापों और बैठकों की निरंतरता हेतु मीटिंग प्रोटोकाल विकसित किया। इसने विभिन्न रिक्तियों हेतु अभ्यर्थियों से ऑन लाइन आवेदन एकत्र करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया भी विकसित की है।

ब्यूरो ने सभी विगत प्राप्तियों और भुगतानों को विधिवत त्रुटि शोधित करते हुए वर्ष 2019-20 हेतु प्रथम प्राप्ति और भुगतान लेखा भी तैयार किया है। वर्ष 2019-20 के लिए व्ययों और वर्ष 2020-21 हेतु मांग की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक, आईआरडीएआई और नाबार्ड को संशोधित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की गई। ब्यूरो ने अपने परिसर में नवीकरण कार्य किए ताकि वार्तालापों के संचालन हेतु उपयुक्त बुनियादी ढाँचे का सृजन हो सके, इसमें अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली प्राप्त करना भी शामिल है।

IV. संस्थापना और प्रकार्य

संस्थापना और अधिदेश

केन्द्र सरकार ने 23 मार्च 2016 को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) स्कीम, 1980 में संशोधन अधिसूचित किए जिससे बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन और प्रकार्यों हेतु विधिक व्यवस्था का प्रावधान हुआ। तदनुसार ब्यूरो ने 1 अप्रैल 2016 से भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय के तौर पर कार्य आरंभ कर दिया।

ब्यूरो के प्रकार्यों का वर्णन उक्त स्कीम की धारा 7(सी) और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के आदेशों के अनुसार परावर्ती संशोधनों में किया गया है, जो इस प्रकार हैं :

1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं[1] और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों[2] में (पूर्ण कालिक निदेशकों और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष) निदेशक बोर्ड के चयन और नियुक्ति हेतु संस्तुति करना।
2) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों, की नियुक्तियों, कार्यकाल की पुष्टि या कार्यकाल विस्तार और सेवा समापन से संबद्ध मामलों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
3) निदेशक बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र के स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षित प्रबंधन संरचना के बारे में केन्द्र सरकार को परामर्श देना
4) राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए समुचित कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के बारे में केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
5) राष्ट्रीयकृत बैंकों और इनके अधिकारियों के कार्य-निष्पादन से संबंधित डेटा हेतु डेटा बैंक तैयार करना।
6) राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधकीय कार्मिकों हेतु सदाचार और नैतिकता संहिता के निरूपण और प्रवर्तन के बारे में केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
7) राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधकीय कार्मिकों हेतु समुचित प्रशिक्षण और विकासात्मक कार्यक्रमों को तैयार करने के बारे में केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
8) कारोबारी विकास रणनीतियों और पूंजी जुटाने की योजनाएं बनाने में बैंकों की मदद; और केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कोई भी कार्य।

प्रकार्य

आरंभिक अधिदेश और परावर्ती संशोधनों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित के निदेशकों की नियुक्ति का दायित्व ब्यूरो पर है :

क) सरकारी क्षेत्र के बैंक : पूर्णकालिक निदेशकों के पचास पद – राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु ग्यारह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा चौंतीस कार्यपालक निदेशक; भारतीय स्टेट बैंक हेतु एक अध्यक्ष और चार प्रबंधक निदेशक; और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गैर-कार्यपालक निदेशकों के ग्यारह पद;

ख) सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां : ग्यारह पद[3] – भारतीय जीवन बीमा निगम हेतु एक अध्यक्ष और चार प्रबंधक निदेशक; और एलआईसी के अलावा अन्य सरकारी क्षेत्र

3. दिनांक 24 अगस्त 2015 के आदेश के अनुसार
4. दिनांक 6 नवम्बर 2019 और 9 जून 2020 के आदेश के अनुसार

की बीमा कंपनियों के लिए छह सीएमडी; और

ग) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं : चौदह पद – सीएमडी/एमडी/एमडी और सीईओ के चार पद तथा डीएमडी के आठ पद।

गठन

सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों हेतु इस ब्यूरो के बोर्ड के गठन को संपरिवर्तित किया गया है ताकि बीमा क्षेत्र से तीन विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल किया जा सके और अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को पदेन सदस्य रखा गया है। वित्तीय संस्थानों (एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड, आइआईएफसीएल, आईएफसीआई लि., एनएचबी) हेतु चयन और शोध हेतु ब्यूरो के गठन में परिवर्तन किया गया है ताकि पूर्व-बैंकर सदस्य के बदले में वित्तीय क्षेत्र में अनुभव रखने वाले एक विशेषज्ञ को शामिल किया जा सके। बाद में एफआई संबंधी मामलों के प्रयोजन से पूर्व-बैंक सदस्य को भी रख लिया गया।

प्रबंधन

ब्यूरो के कार्यों के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और प्रबंधन सचिव को सौंपे गए हैं, जो ब्यूरो के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और निदेश के तहत कार्य करेंगे। मुम्बई में ब्यूरो का एक कार्यालय है, जिसमें पर्याप्त स्टाफ है।

यह ब्यूरो लाभ रहित स्वायत्तशासी निकाय है, आरंभ में इससे अपेक्षित था कि यह अपने सभी व्ययों के लिए सबसे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक से मदद ले लेगा और बाद में वह व्यय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच विभाजित कर दिया जाएगा। वर्ष 2019-20 (और इसके बाद से) हेतु संशोधित दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है कि ब्यूरो के व्ययों को प्रत्येक वर्ग अर्थात सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में रिक्ति वर्ष के पहली अप्रैल को पूर्णकालिक निदेशकों की रिक्तियों की अनुमानित संख्या के अनुसार यथानुपातिक आधार पर सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूरा किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के अलग-अलग संगठनों के लाभ के अनुपात के आधार पर परिचालन लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के बीच व्यय विभाजित कर दिया जाएगा।

5. सरकारी क्षेत्र की पाँच सामान्य बीमा कंपनियों यथा एनआईएसीएल, एनआईसीआई, ओआईसीएल, यूआईआईसीएल और जीआईसी के अपने-अपने बोर्ड में महाप्रबंधक व निदेशक के 9 पदों को प्रस्तावित किया गया जिसके लिए इन्हीं के उन महाप्रबंधकों को लिया गया था थे विचारार्थ दायरे में आते थे। इसके बाद से इन पदों को भी ब्यूरो के माध्यम से ही भरा जाएगा।

V. नियुक्ति हेतु संस्तुतियां

वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित संस्थान वर्गों के लिए 34 रिक्तियों के बारे में कार्य किया गया :

तालिका 1: वर्ष 2019-20 में की गई संस्तुतियां

पदनाम	एफ आई	पीएसबी	पीए-सआई-सी	कुल
अध्यक्ष	1	-	-	1
सीएमडी	-	-	2	2
डीएमडी	7	-	-	7
एमडी	1	1	2	4
एमडी एन्ड सीईओ		5	-	5
ईडी	-	4	-	15
सकल जोड़	9	10	4	34

संस्थानों से सीधे ही अथवा खुले विज्ञापन के माध्यम से मंगाए गए आवेदनों को एकत्र करने और उनकी संवीक्षा के साथ ही यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मूल आवेदकों में से 88 अभ्यर्थियों का व्यवहारपरक आकलन बाहरी एजेंसियों से कराया गया। इसके अलावा 19 प्राइवेट अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि की जांच भी बाहरी एजेंसियों से कराई गई। पात्र अभ्यर्थियों में से 131 अभ्यर्थी इस ब्यूरो के सदस्यों के साथ वार्तालाप हेतु आए। परिणामों को अंतिम रूप देने के कुछ ही घंटों के भीतर ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। परिणाम को अंतिम रूप देने के कुछ मिनटों के भीतर ब्यूरो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इसे प्रकाशित किया गया। यह समस्त प्रक्रिया केवल सचिवालय द्वारा ही की गई और अधिसूचना की तारीख से संस्तुतियां प्रस्तुत करने की तारीख तक औसतन 45 दिन का समय लगा। समय में यह कमी प्रणाली और प्रक्रियाओं के कारण रही, इनमें ऑनलाइन वार्तालाप हेतु वीडियो सम्मेलन प्रणाली का अधिक्रय भी शामिल है। वर्ष 2019-20 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समामेलन के कारण समामेलक प्रतिष्ठानों से कार्यपालक निदेशकों के पार्श्विक गमन द्वारा भरी जाने वाली ईडी रिक्तियों से भी संस्तुति में लगने वाले समय में कमी आई।

खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ब्यूरो ने वर्ष 2016 में अपनी शुरूआत से लेकर अब तक बोर्ड स्तरीय विभिन्न पोजिशनों के लिए 90 से भी अधिक रिक्तियों के लिए 300 से भी अधिक आवेदनों पर कार्य किया। वर्ष 2019-20 से सभी अभ्यर्थियों के लिए व्यवहारपरक आकलन को मानक प्रक्रिया के तौर पर अपनाया गया है और सभी प्राइवेट अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। ब्यूरो की शुरूआत से लेकर अब तक रिक्तियों, आवेदकों और संस्तुतियों का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

तालिका 2: सरकारी क्षेत्र के बैंकों/पीएसआईसी/एफआई में एनईसी और डब्ल्यूटीडी के पदों हेतु संस्तुतियां

पोजिशन	अवधि	रिक्ति	आवेदक	संक्षिप्त सूची में	व्यवहारगत आकलन	पृष्ठभूमि का सत्यापन	संस्तुत अभ्यर्थी
राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यपालक निदेशक	2016-17	18	45	45	एनए	NA	18
राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यपालक निदेशक	2017-18	15	39	39	एनए	एनए	15
राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यपालक निदेशक	2018-19	17	44	44	एनए	एनए	17
राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यपालक निदेशक	2019-20	4	4	4	एनए	एनए	4
स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक	2016-17	1	3	3	एनए	एनए	1
स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक	2017-18	1	10	10	एनए	एनए	1
स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक	2018-19	1	11	11	एनए	एनए	1
स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक	2019-20	1	17	17	एनए	एनए	1
राष्ट्रीयकृत बैंकों में एमडी और सीईओ	2016-17	3	10	10	एनए	एनए	3
राष्ट्रीयकृत बैंकों में एमडी और सीईओ	2017-18	5	15	15	एनए	एनए	5
राष्ट्रीयकृत बैंकों में एमडी और सीईओ	2018-19	12	30	30	एनए	एनए	12
राष्ट्रीयकृत बैंकों में एमडी और सीईओ	2019-20	4	62	25	29	9	4
अध्यक्ष, स्टेट बैंक	2017-18	1	4	4	एनए	एनए	1
वित्तीय संस्थानों में अध्यक्ष / एमडी	2019-20	2	37	24	10	1	2
वित्तीय संस्थानों में डीएमडी	2019-20	7	116	40	25	0	2
अध्यक्ष, एलआईसी	2018-19	1	5	5	0	0	1
पीएसआईसी में सीएमडी	2019-20	2	7	7	0	0	2
एलआईसी में एमडी	2018-19	2	9	9	0	0	2
एलआईसी में एमडी	2019-20	2	7	7	0	0	2
राष्ट्रीयकृत बैंकों एनईसी	2016-17	10	#		एनए	एनए	3
राष्ट्रीयकृत बैंकों एनईसी	2016-17	8	#		एनए	एनए	2
राष्ट्रीयकृत बैंकों एनईसी	2017-18	6	#		एनए	एनए	6
राष्ट्रीयकृत बैंकों एनईसी	2019-20	4	#		एनए	एनए	1

#भारत में सूचीबद्ध कम्पनियों के बोर्डों के बारे में विभिन्न डेटाबेस से लिए गए स्वतंत्र निदेशकों की सूची के अनुसार

VI. आयोजन और मुलाकातें

8 अप्रैल 2017: ब्यूरो का उदघाटन तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने किया। फोटो में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ.रघुराम राजन; बैंक बोर्ड ब्यूरो के पूर्व अध्यक्ष श्री विनोद राय; लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री अमेसिंग लुईखाम; भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर श्री आर.गांधी और श्री मूंदड़ा और बैंक बोर्ड ब्यूरो के पूर्व सदस्य डॉ. अनिल खंडेलवाल, श्री एच. एन. सिनोर और सुश्री रूपा कुडवा भी दिखाई दे रहे हैं।

26 मार्च 2018 : ब्यूरो के प्रथम बोर्ड का कार्यकाल पूरा हुआ। दाहिने से बाएं – श्री राजीव कुमार, तत्कालीन वित्त सचिव और ब्यूरो के पदेन सदस्य, श्री विनोद राय, अध्यक्ष और श्री एच. एन. सिनोर और डॉ. अनिल के. खंडेलवाल- को समृति चिह्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

24 अप्रैल 2018: ब्यूरो के द्वितीय बोर्ड के सदस्यों की प्रथम बैठक। फोटो में दिखाई दे रहे हैं – अध्यक्ष श्री बी. पी. शर्मा, और बोर्ड के सदस्य श्री एन. एस. विश्वनाथन, सुश्री वेदिका भंडारकर, श्री पांजा प्रदीप कुमार और श्री प्रदीप पी. शाह।

19 जुलाई 2019: आईआईएम बंगलोर में लीडरशिप विकास कार्यक्रम का उद्घाटन

8 अगस्त 2019:

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

श्री शक्तिकांत दास

और ब्यूरो की मुलाक़ात

लीडरशिप विकास कार्यक्रम –

जुलाई 2019 से जुलाई 2020

लीडरशिप विकास कार्यक्रम –

जुलाई 2019 से जुलाई 2020

लीडरशिप विकास कार्यक्रम

आऊट बाऊन्ड विल्डरनेस मॉड्यूल नेतृत्व और टीम वर्क के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए

VII. लीडरशिप विकास कार्यक्रम

ब्यूरो को मिले अधिदेशों में से एक यह भी है – *'भविष्य में बनने वाली महत्वपूर्ण पोजिशनों के लिए समुचित एचआर प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणालियों सहित लीडरशिप पदारोहण की सुदृढ़ योजना तैयार करने में बैंकों की मदद करना।'* इस अधिदेश के अनुसरण में आईबीए ने अपने ज्ञान सहभागी मैसर्स इगॉन जेहेन्डर, पीएसबी की लीडरशिप और आईआईएम बंगलोर के परामर्श से लीडरशिप विकास कार्यक्रम (एलडीपी) तैयार किया जिसकी प्रस्तुति आईआईएम बंगलोर द्वारा की गई।

कार्यक्रम का ब्यौरा

इस कार्यक्रम का संचालन आईआईएम बंगलोर और उनके सहयोगियों ने किया। कार्यक्रम में सहभागियों के समग्र विकास हेतु माड्यूल रखे गए थे। व्यक्तिगत विकास यात्रा नामक माड्यूल का फोकस व्यक्तिगत विकास पर था, जिसमें अभिज्ञान और क्षमता, प्रबल संभाषण दक्षता, प्रभावोत्पादकता और नेतृत्व सानिध्य हेतु आंतरिक दक्षताओं, टीम नेतृत्व और संगठनात्मक समझ, आदि का अन्वेषण किया गया। प्रयोजनमूलक माड्यूलों का फोकस प्रतिपादक प्रौद्योगिकी में अधुनातन प्रगति और लीडरशिप तथा संगठन के नवीनतम मॉडलों पर रहा ताकि नवसंकल्पनाओं का समर्थन लिया जा सके और हैन्ड्स-ऑन अनुभव भी कराया गया। कोचिंग माड्यूल का आधार व्यक्तिगत विकास योजना पर था, जिसका निर्धारण प्रत्येक अभ्यर्थी के साइकोमेट्रिक आकलन के अनुसार किया गया। आउटबाउन्ड वाइल्डरनेस के माड्यूल का संचालन किया गया जिसमें अभ्यास कराते हुए लीडरशिप और टीमवर्क के सिद्धांतों को समामेलित किया गया ताकि सकारात्मक, स्थायी परिवर्तन का सृजन हो सके। संबद्ध बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की विधिवत स्वीकृति से तैयार किए गए 'लाइव प्रोजेक्ट्स' का चयन किया गया ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञानार्जन का अवलम्ब लेते हुए

डेवलपमेंट मेथडालाजी

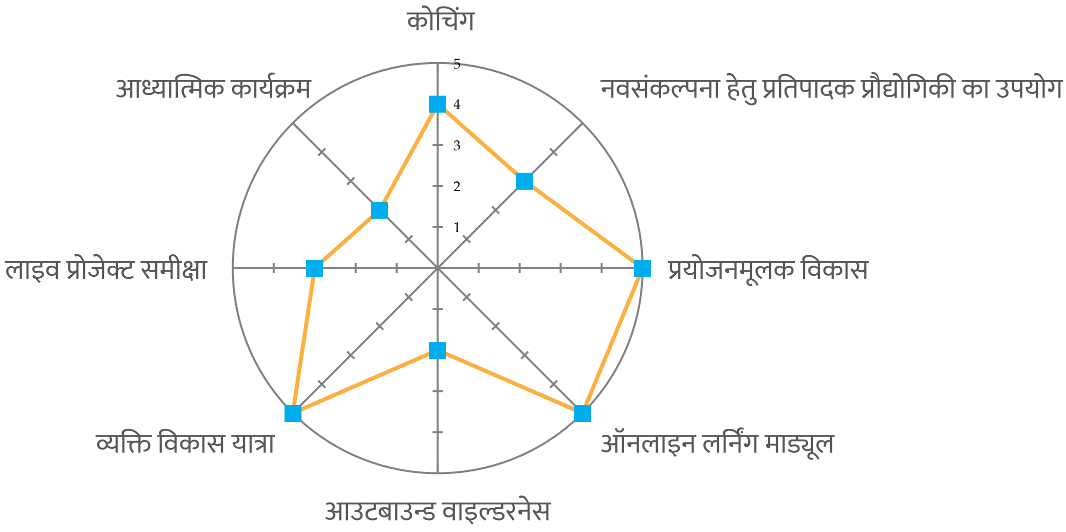

एलडीपी घटकों में सहभागियों की प्रयास तल्लीनता (मापन 0-5)

टीम और व्यक्तियों को संगठनात्मक लक्ष्यों की तरफ प्रेरित किया जा सके। प्रयोजनमूलक के साथ-साथ लीडरशिप विषयों पर अभियोजन और प्रेरणा देने के लिए ऑनलाइन लर्निंग माड्यूल शामिल किया गया। आध्यात्मिक प्रतिरूप का फोकस आत्ममूल्यांकन और निजत्व अन्वेषणों पर रहा ताकि सेहत और सफलता को इष्टतम करने के अलावा निजत्व का विकास किया जा सके और जीवन के उच्चतर आयामों के अन्वेषण की संभावना को स्थापित किया जा सके। अंततः प्रेरक वक्ताओं के सत्रों को भी समाहित किया गया जिसमें लगभग दस विख्यात (अन्तरराष्ट्रीय / भारतीय) विचारशील नेतृत्व सत्रों को शामिल किया गया।

सहभागियों का चयन विभिन्न आकलनों पर आधारित था, जैसे कि – होगान, दि मोटिव्स, प्रतिमान, प्राथमिकताओं की सूची, प्रयोजनमूलक सर्वेक्षण और व्यक्तिशः आकलन, के साथ-साथ सक्षमता और विकास संभावना की समीक्षा भी शामिल थे। इन सहभागियों में से प्रत्येक हेतु इन आकलनों के सहारे व्यक्तिगत विकास योजनाओं का प्रयोग इस कोचिंग में किया गया।

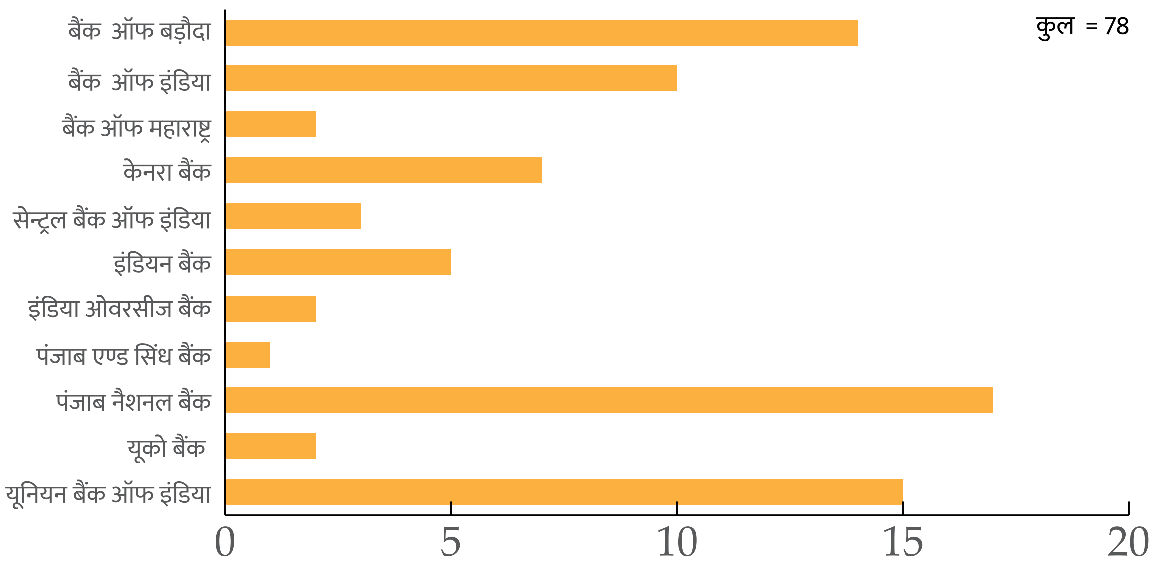

सहभागियों की संख्या

आईआईएम बंगलोर में एलडीपी का प्रथम बैच

इन माड्यूलों की समय-सारणी 9-10 माह की अवधि में रखी गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहभागियों को विषय आत्मसात करने और अभ्यास हेतु पर्याप्त समय मिलता है। कैम्पस में ही किए गए प्रयोजनमूलक माड्यूलों और व्यक्तिगत विकास यात्रा के लिए सहभागियों द्वारा प्रयास में तल्लीनता (अनुयोजन के वास्तविक दिनों के तौर पर आकलित) उच्चतम रहे। ऑनलाइन ज्ञानार्जन के प्रयास भी काफी अधिक रहे जैसा कि सहभागियों द्वारा ऑनलाइन व्यतीत किए गए समय से आकलन किया गया है।

सहभागियों का समूह

सहभागियों का चयन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के महाप्रबंधकों / उप महाप्रबंधकों के एक व्यापक समूह में से किया गया था, विद्यमान क्षमता में जिनका न्यूनतम कार्यकाल एक वर्ष था और साथ ही साथ 4-5 वर्ष का सेवाकाल शेष था।

चयन प्रक्रिया में अलग-अलग प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का क्षमताओं और प्राथमिकताओं के अभिनिर्धारित दायरे के बारे में आकलन भी निहित है। सन 2019-20 के लिए 16 बैंकों (यूनाइटेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस वर्ष के कार्यक्रम हेतु किसी सहभागी की संस्तुति नहीं की) से 78 सहभागियों की अंतिम सूची बनाई गई।

कार्यक्रम प्रस्तुति

यह कार्यक्रम 19 जुलाई 2019 को आरंभ हुआ – यह एक ऐसा दिन था जब 50 साल पहले 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण घोषित किया गया था। यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के कारण कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सभी माड्यूलों की प्रस्तुति समय-सारणी के अनुसार हुई। सभी माड्यूलों को अन्ततः एक 'लाइव प्रोजेक्ट' में समाहित किया गया, अभिप्राय यही था कि प्रत्येक बैंक के परिचालन और प्रयोजनमूलक मानदंडों के सुधार हेतु कार्रवाई योजनाओं के लक्ष्य को बढ़ावा दिया जाए। लाइव प्रोजेक्ट सहित इन सभी प्रयासों के लिए प्रत्येक की समयबद्धता इस प्रकार निश्चित की गई कि इन प्रोजेक्टों को 9 माह की समय-सारणी में आरंभ कर दिया जाए और उनका लाभकारक प्रभाव बैंकों और अलग-अलग अधिकारियों को बाद में भी मिलता रहे। समयबद्धता का संक्षिप्त विवरण उपरोक्तानुसार है।

बैंकों से छह शीर्षस्थ कार्यपालकों और आईआईएम बंगलोर से वरिष्ठ प्रोफेसरों की एक टीम ने लाइव प्रोजेक्ट में सहभागियों का मार्गदर्शन किया, तथा साथ ही तीन औपचारिक समीक्षाएं भी हुईं।

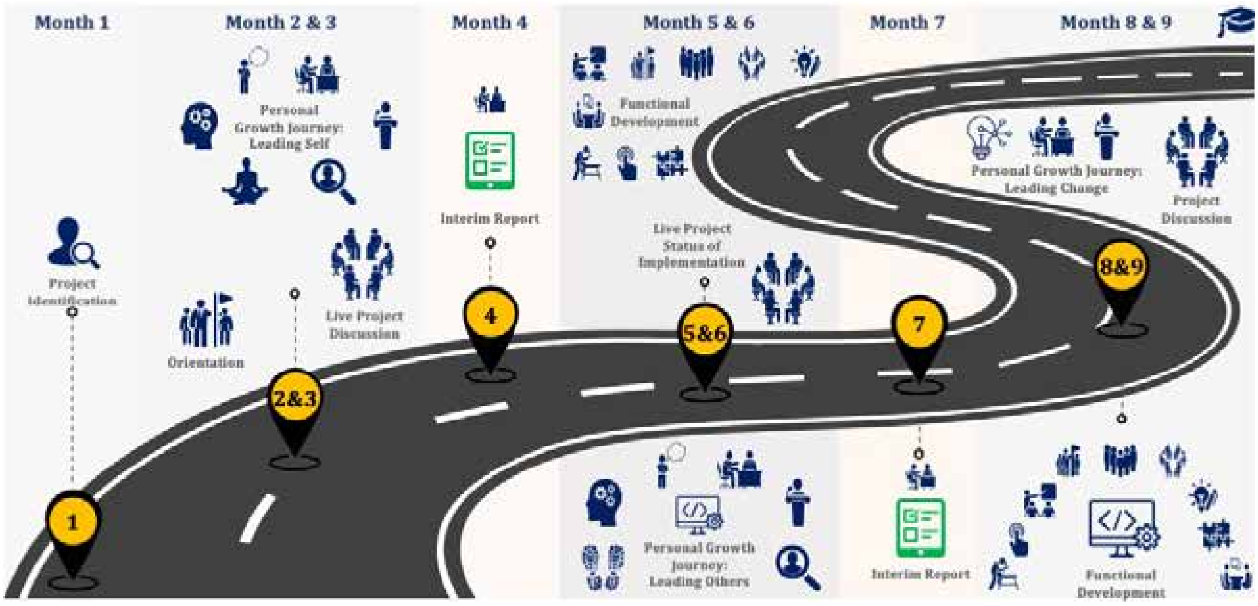

डेवलपमेंट मेथडालाजी

डिस्कवरी दिवस कार्यशाला

आईआईएम बंगलोर में 3 जनवरी से 5 जनवरी 2020 के दौरान डिस्कवरी दिवस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का डिजाइन इस प्रकार किया गया कि भारत सरकार के आदेशानुसार समामेलन की प्रक्रिया में चल रहे 10 बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ उपादान प्रदान किए जा सकें। इस कार्यशाला का उद्देश्य था – समामेलन में निहित प्रत्येक बैंक के भीतर ही वरिष्ठ अधिकारियों को सम्प्रेषण माध्यम के रूप में कार्य करने हेतु तैयार करना, समामेलन कर रहे बैाकों में समग्र रूप से अपने-अपने बैंकों की मजबूती और अवसरों को समाने लाने का दायित्व देना जैसा कि प्रबंधनवर्ग ने परिकल्पना की है, और अन्तत: इन अधिकारियों को सशक्त करना ताकि समामेलित हो रहे बैंकों में समग्रतया सभी हिस्सेदारों तक संकल्प और लक्ष्यों का सम्प्रेषण हो सके और भावी परियोजनाओं में सहायेग कर सकने के लिए समग्र बैंक में टीम संचालकों का अभिनिर्धारण कर सकें।

कार्यशाला का प्रत्याशित परिणाम रहा था कि समामेलन में निहित बैंकों की संगठनात्मक संस्कृति का आकलन, इस संस्कृति में समानताओं और अंतरालों के सटीक क्षेत्रों का बोध, अन्य बैंकों के अनुभवों के आधार पर रणनीतियों पर विमर्श करना और अन्ततः आकांक्षित संस्थापरक संस्कृति तक पहुंचने हेतु अपेक्षित एचआर परिवर्तनों की स्पष्ट समझ।

VIII. अभिशासन के बारे में संस्तुतियां

ब्यूरो ने रिक्तियों के लिए अपनी संस्तुतियों करने के अलावा भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार संस्तुतियां भी कीं। इनमें से कुछ संस्तुतियों का गहन निहितार्थ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के भीतर अभिशासन और दायित्वों के संबंध में भी है।

ब्यूरो द्वारा अब तक की गई सभी प्रमुख संस्तुतियों का सारांश 18 प्रमुख शीर्षों में किया गया है। इनमें से कुछ संस्तुतियां सरकार की अभिशासन सुधार कार्यसूची के सम-समान हैं। इस कार्यसूची के भाग के तौर पर वर्ष 2019-20 के दौरान कई अभिशासन सुधार किए गए। सरकार द्वारा आरंभ किए गए इन सुधारों का सारांश इस अध्याय के अंत में दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी और कारोबारी संरचना में तीव्र परिवर्तनों और हिस्सेदारों से प्राप्त फीडबैक के परिप्रेक्ष्य में यह ब्यूरो अपनी संस्तुतियों का निरंतर मूल्यांकन करता रहा है। ब्यूरो की कुछ प्रमुख संस्तुतियों का उल्लेख निम्नानुसार है :

I. अभिशासन

(i) नामांकन और पारिश्रमिक हेतु अलग समिति : नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति के रूप में अलग-अलग समितियों के स्थान पर एकल समिति – यथा बोर्ड की एनआरसी जिसे उसी प्रकार का अधिदेश दिया गया है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों और सेबी द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित है जो कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलावा सभी बैंकों के लिए अनुमेय है।

(ii) जोखिम प्रबंधन तथा लेखा-परीक्षा कार्यों हेतु अलग से कार्यपालक निदेशक : जोखिम प्रबंधन तथा लेखा-परीक्षा कार्यों हेतु अलग से एक कार्यपालक निदेशक जो केवल प्रशासनिक प्रयोजनों से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। इस कार्यपालक निदेशक के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी के तौर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) होगी और बोर्ड की एनआरसी इसके लिए समीक्षा/ स्वीकारकर्ता प्राधिकारी रहेगी।

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए रिपोर्टिंग / समीक्षा /स्वीकारकर्ता प्राधिकारी एनआरसी होगी - जो कि अन्य कार्यपालक निदेशकें के साथ प्रथम रक्षापंक्ति का हिस्सा होंगे, जिनकी भूमिका पर्याप्त नियंत्रणों के साथ राजस्व का अर्जन और आरएमसीबी द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर जोखिमों की परिकल्पना करना होगा।

(iii) गैर कार्यपालक निदेशकों का कार्यकाल : गैर-कार्यपालक निदेशकों के वर्तमान में तीन साल के कार्यकाल को बढ़ाकर चार साल किया जाए, जिसके लिए कार्य-निष्पादन की शर्त के साथ अधिकतम दो कार्यकाल रहेंगे।

(iv) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मानव-शक्ति आयोजना : लागत, उत्पादकता और जोखिमों के प्रति जिम्मेदारी के साथ ही साथ बैंक की रणनीति के आधार पर उसका बोर्ड यह निर्णय करेगा कि प्रबंधन-तंत्र के पदानुक्रम में प्रत्येक स्तर पर

कितने व्यक्ति चाहिए अथवा कारोबारी अपेक्षाओं के आधार पर अतिरिक्त कितने भी स्तर जोड़े जाएँ ।

(v) गैर पदाधिकारी निदेशकों की भूमिका : यद्यपि गैर कार्यपालक अध्यक्षों (एनईसी) सहित गैर-पदाधिकारी निदेशकों (एनओडी) की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, तथापि इन्हें स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका निभानी होती है जैसा कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों और सेबी में सूचीबद्ध संस्थानों के लिए निर्धारित है, और इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलावा अन्य बैंकों के लिए भी यह अनुमेय है।

(vi) बोर्डों में विभिन्नता : एनआरसी को बोर्ड में विभिन्नता संबंधी नीति बनानी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बोर्ड पर किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूहों का वर्चस्व नहीं रहेगा। एनआरसी को यह शक्ति दी जाए कि वह बोर्ड की किसी भी समिति के गठन / पुनर्गठन की संस्तुति कर सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह गठन दिशानिदेशों के अनुरूप है जो कि स्वामित्व रहित है और समितियों में सदस्यों की अदला-बदली होती रहती है।

(vii) बोर्ड की प्रबंधन समिति : बोर्ड की प्रबंधन समिति में प्रबंधन तंत्र के व्यक्ति ही रहें – अर्थात पूर्णकालिक निदेशक (इसके लिए गौण विधानों में संशोधन की अपेक्षा हो सकती है)। एमसीबी द्वारा क्रेडिट मंजूरी की शक्तियों सहित उन प्रबंधन शक्तियों किया जाता है जो बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जाती हैं।

II. नियुक्तियां

(viii) पूर्ण-कालिक निदेशकों का कार्यकाल : प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का न्यूनतम तीन साल का कार्यकाल होना चाहिए, जिसमें आयु पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। तीन वर्ष की यह न्यूनतम कार्यकाल 60 साल की आयु से भी आगे जा सकता है।

(ix) आंतरिक कार्यपालक निदेशक : कार्यपालक निदेशक के पदों में से एक पद को बैंक के भीतर के अभ्यर्थियों के लिए रखा जाए।

III. प्रतिपूर्ति

(x) गैर कार्यपालक निदेशकों हेतु पारिश्रमिक: एनआरसी के प्रस्तावों के आधार पर बोर्ड द्वारा अपने गैर- कार्यपालक अध्यक्ष सहित गैर- कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक/ प्रतिपूर्ति / शुल्क के बारे में उन्हीं दिशानिदेशों के दायरे में किया जाए जिनका निर्धारण कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों तथा सेबी द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए किया गया है, और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित किया गया है।

(xi) कार्य-निष्पादन आधारित प्रतिपूर्ति : कार्य-निष्पादन आधारित प्रतिपूर्ति के माध्यम से सही व्यक्ति और सम्यक कार्य-निष्पादन के साथ प्रतिपूर्ति को समानुरूपित करना, यथा –

a. दीर्घकालीन कार्य-निष्पादन के लिए कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ईएसओएस)
b. अल्पकालीन कार्य-निष्पादन के लिए कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआइ)

IV. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

(xii) अल्पकालिक निदेशकों के कार्य- निष्पादन का मूल्यांकन : एनआरसी द्वारा निर्णीत मानदंडों के आधार पर बोर्ड अपने कार्य-निष्पादन, अपनी समितियों के कार्य-

निष्पादन और अलग-अलग गैर कार्यपालक निदेशकों (एनईडी)/स्वतंत्र निदेशकों (आइडी) के कार्य- निष्पादन का आकलन करे।

(xiii) पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र के कार्य: निष्पादन का मूल्यांकन – बोर्ड अपनी एनआरसी के माध्यम से डब्ल्यू टी डी / वरिष्ठ प्रबंधन-वर्ग के कार्मिकों के कार्य-निष्पादन का आकलन करें।

V. क्रेडिट अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और लेखा परीक्षा कार्य

(xiv) जोखिम प्रबंधन समिति का गठन : बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन निम्नलिखित के अनुसार रहेगा

1. अध्यक्ष सहित सभी सदस्य एनईडी/आइडी होंगे।
2. एकमात्र अपवाद : ईडी जो रक्षा की प्रथम और द्वितीय पंक्ति की निगरानी करते हैं।
3. स्थायी आमंत्रित – मुख्य जोखिम अधिकारी और अनुपालन प्रमुख जो कि रक्षा की प्रथम और द्वितीय पंक्ति की निगरानी करने वाले ईडी को सीधे ही रिपोर्ट करते हों।
4. अधिकांश सदस्यों को जोखिम प्रबंधन समस्याओं और परिपाटियों का अनुभव होना चाहिए।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अधिदेश में अन्य बातों के साथ-साथ 'जोखिम क्षमता' के आधार पर बैंक की 'जोखिम झेलने की क्षमता' का निर्धारण भी होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी लाइन मैनेजमेन्ट/ रक्षा की प्रथम पंक्ति पर डाली जानी चाहिए।

(xv) मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका : बोर्ड के अनुमोदन से बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को अपने मुख्य जोखिम अधिकारी सहित क्रेडिट जोखिम प्रबंधन कार्य/ कार्यकर्ताओं की भूमिका पर निर्णय लेना चाहिए।

(xvi) बोर्ड की क्रेडिट मूल्यांकन समिति के कार्य : ऋण देने के लिए समितिगत प्रणाली को बोर्ड के अनुमोदन से केवल बहुत बड़ी रकम वाले क्रेडिट प्रस्तावों तक ही सीमित रखना चाहिए। वर्तमान रूप में मौजूद क्रेडिट अनुमोदन समिति (सीएसीबी) का समापन कर दिया जाए। बोर्ड की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन केवल कार्यकारी निदेशकों के साथ किया जाता है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट एक्सपोज़र थ्रेशोल्ड मैट्रिक्स के बारे में निर्णय लेने के लिए जनादेश दिया जाता है जिसके भीतर एमसीबी के साथ-साथ विभिन्न कार्यकारी समितियों / व्यक्तियों को विभिन्न क्रेडिट अंडरराइटिंग निर्णय ले।

(xvii) ऋण मंजूर करने की शक्तियां : बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति अपने बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर क्रेडिट मंजूरी शक्तियों /सीमाओं का प्रत्यायोजन करे।

(xviii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) : एसीबी का गठन और नियंत्रण संरचना निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए :

1. केवल एनईडी/आईडी को रखा जाए, एकमात्र अपवाद होंगे रक्षा की द्वितीय और तृतीय पंक्ति की विशिष्ठ निगरानी करने वाले ईडी।
2. इसके अध्यक्ष बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं होने चाहिए।

3. रक्षा की द्वितीय और तृतीय पंक्ति की विशेष निगरानी रखने वाले ईडी को सीधे रिपोर्ट करने वाले आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख इसके स्थायी आमंत्रितों में होने चाहिए।

इन संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी रिपोर्ट निम्नलिखित बॉक्स में दी गई है :

ईएएसई के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन और एचआर सुधार

ईएएसई (परिष्कृत अभिगम और सेवा श्रेष्ठता) के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सुधार कार्यसूची को नवम्बर 2017 में जारी किया गया था। यह कार्यसूची छह सूत्रों पर अवलंबित है – दायित्वपूर्ण बैंकिंग, ग्राहक के लिए प्रतिसाद युक्तता, क्रेडिट ऑफ टेक, एमएसएमई कवरेज, वित्तीय समावेशन को गहराई तक ले जाना और डिजिटाइजेशन, अभिशासन और एचआर। सुधार कार्यसूची के परिप्रेक्ष्य में हुई प्रगति का आकलन और निर्धारण एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किया जाता है और इसकी रिपोर्ट खुले आम दी जाती है। ईएएसई कार्यसूची के एक भाग के तौर पर सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एचआर के पाँच महत्वपूर्ण सुधार आरंभ किए गए हैं –

क. परिष्कृत मानवीयता और वैज्ञानिक, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनों के लिए डेटा के स्वतः परिपूर्णन पर फोकस रखते हुए डिजिटलीकृत कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।

ख. सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पेशागत कुटुम्बों की शुरूआत ताकि विशेषज्ञता संबद्ध क्षमताओं का निर्माण हो और कर्मचारियों को नवयुगीन दक्षताएं हासिल करने में मदद की जा सके।

ग. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचारु बनाने और मानवशक्ति का इष्टतम विनियोजन सुनिश्चित करने के लिए आईटी आधारित एचआर विनियोजन और निर्णय समर्थन प्रणाली का कार्यान्वयन।

घ. भूमिका आधारित ई-लर्निंग कार्यक्रमों की शुरुआत ताकि निर्धारित भूमिकाओं में कर्मचारियों की प्रभावोत्पादकता को सुधारा और कार्यनिष्पादन को उत्कृष्ट बनाया जा सके।

ङ. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मध्य, वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन वर्ग के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएं(आईडीपी) तैयार करना ताकि विकासात्मक प्राथमिकताओं का समय रहते अभिनिर्धारण और ट्रैकिंग सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा सन 2019-20 और 2020-21 के लिए ईएएसई 3.0 सुधार कार्यसूची की कार्रवाई मद 21 के एक हिस्से के तौर पर अभिशासन हेतु कई सुधार निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि –

क. गैर पदाधिकारी निदेशकों की भूमिका और दायित्वों को समरूपित करना ताकि वे कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशक हेतु निर्धारित रीति के अनुसार अपना कार्य करें।

ख. समपदस्थ द्वारा की जाने वाली समीक्षा के माध्यम से एनओडी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन।

ग. निम्नलिखित पर विचार करते हुए संगठनात्मक संरचना और परिचालन व्यवस्था पर फिर से ध्यान देना

- अतिरिक्त डब्ल्यूटीडी पद और सीजीएम स्तर का सृजन
- मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) हेतु मार्केट से भर्ती और समामेलन

घ. निम्नलिखित के माध्यम से डब्ल्यूटीडी कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन को बैंक के कारोबारी लक्ष्यों के समानुरूप बनाना –

- कारोबारी कार्यनिष्पादन और संभावनाओं के आधार पर प्रत्येक डब्ल्यूटीडी हेतु वार्षिक लक्ष्योंका आवंटन और इसे 30 अप्रैल तक अंतिम रूप देना।
- लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति की वर्ष मध्य समीक्षा की शुरूआत।

ङ. गैर पदाधिकारी निदेशकों के समपदस्थ मूल्यांकन और अधिष्ठापन तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण हेतु संस्थानगत व्यवस्थाएं करना।

स्रोत : बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप और डीएफएस, भारत सरकार

IX. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक बोर्ड ब्यूरो एक लोक प्राधिकरण है जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है। इस प्रकार बैंक बोर्ड ब्यूरो का यह दायित्व है कि जनता को सूचना प्रदान करे। वर्ष के दौरान बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 2 आवेदन मिले (विगत वर्ष में 7 मिले थे)। इसके अलावा दिए गए जवाबों के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का सारांश निम्नानुसार है :

तालिका 2: आरआईए आवेदन

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आवेदनों की संख्या	शून्य *	19	7	2
प्राप्त अपीलों की संख्या	शून्य *	1	1	शून्य

** - ब्यूरो को केवल 2016 के अंत में आकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लोक प्राधिकरण के तौर पर निर्धारित किया गया।*

X. डेटाबेस, विश्लेषण और आईटी प्रणाली

ब्यूरो को दिए गए अधिदेशों में से एक यह भी है कि *'सरकारी क्षेत्र के बैंकों / वित्तीय संस्थानों के संबंध में डेटा के लिए एक डेटा बैंक का निर्माण किया जाए'*। इस संदर्भ में अधिदेशित संस्थानों के प्रकाशित वित्तीय परिणामों पर भरोसा करता है और यदा कदा अतिरिक्त जानकारी भी मांग लेता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सापेक्षिक और परिशुद्ध वित्तीय कार्यनिष्पादन के आकलन हेतु प्रयुक्त महत्वपूर्ण अनुपातों को तैयार करने के लिए इस डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। सभी अधिदेशित संस्थानों में बोर्ड की पोजिशनों के बारे में भी ब्यूरो एक डेटाबेस का रखरखाव किया जाता है, जिसे नियमित रूप से नवीकृत किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का प्रयोग करते हुए कार्य-निष्पादन संबंधी ब्यूरो द्वारा किए जाते हैं।

आईटी प्रणालियां और अवसंरचना

हार्डवेयर : इसके सचिवालय में पर्याप्त पीसी, प्रिन्टर, वीडियो सम्मेलन प्रणाली और अन्य आई टी अवसंरचना है जिससे इसका निर्बाध परिचालन होता है।

परिसर : इस ब्यूरो का परिसर भारतीय रिज़र्व बैंक से लीज पर लिया गया है।

सॉफ्टवेयर : ब्यूरो के लेखांकन की प्रक्रिया में वर्ष 2019-20 के दौरान परिवर्तन किया गया। अब ब्यूरो से यह अपेक्षित है कि लेखांकन अवधि संकल्पना को बरकरार रखे और अपनी प्राप्तियों और भुगतानों को संचयी आधार पर अनुरूपित किया जाए। वर्ष 2019-20 से पहले प्राप्तियों और भुगतानों को नकद आधार पर किया जाता था। समस्त प्रक्रिया को मानकीकृत करने के प्रयोजन से ब्यूरो ने टैली-9 नामक एप्लिकेशन के लिए लाइसेन्स लिया और दो माह तक समानांतर प्रक्रिया का संचालन करने के बाद इसे लाइव कर दिया गया। इसके बाद से ही लेखांकन, त्रुटि शोधन, लेखांकन और अंतिम लेखा-जोखा तैयार करने के लिए समस्त प्रक्रिया को टैली-9 के माध्यम से ही किया जा रहा है।

अब तक तो यह ब्यूरो अपने सभी सर्वेक्षणों, पोजिशनों के लिए आवेदनों के संचयन आदि के कार्य या तो ईमेल के माध्यम से करता था या फिर मानव चालित रीति से करता था। वर्ष के दौरान ब्यूरो ने सर्वेक्षण करने और अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदनों के संचयन हेतु ऑनलाइन प्रणाली तैयार कराई। ब्यूरो इस प्रयोजन के लिए सितम्बर 2019 से सर्वेमन्की पोर्टल पर लाइसेन्स का प्राप्त किया है।

यह ब्यूरो अभी तक तो अपने स्टेकहोल्डरों के साथ पत्राचार के लिए मानक ईमेल का प्रयोग कर रहा था। यह जरूरत समझी गई कि सभी महत्वपूर्ण पत्राचारों को सत्यापित किया जाना और टेम्पर-एविडेन्ट सील के साथ संरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ब्यूरो ने ई-मुद्रा पोर्टल पर ई-साइन एप्लिकेशन प्रयोग हेतु लाइसेन्स लिया ताकि प्रलेखों पर डिजिटल हस्ताक्षर हो सकें। इसके अधिक्रय के बाद से ही सभी पत्राचारों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

यह अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप पर लाइसेन्स प्राप्त एम एस ऑफिस 365 और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है।

ब्यूरो जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए अपनी वेबसाइट https://www.banksboardbureau.org.in और अपने ट्विटर हैन्डल (@BanksBoardBuro) का प्रयोग करता है।

ब्यूरो अपने स्टेकहोल्डरों से बहुत से पत्र प्राप्त करता है और उन्हें बहुत से पत्र भेजता है, इसका ट्रैक रखने के लिए सामान्य सप्रेडशीट का प्रयोग किया जाता था। ऐसी जरूरत महसूस की गई कि कागजात के प्रबंधन में सुधार हेतु उचित सॉफ्टवेयर प्रणाली का प्रयोग किया जाए। रिकार्ड प्रबंधन के लिए ब्यूरो ने आंतरिक तौर पर प्रलेख प्रबंधन प्रणाली का विकास किया है।

मार्च 2020 से पहले ब्यूरो की सभी बैठकों में लोग व्यक्तिगत तौर पर शामिल हुआ करते थे, सदस्यगण यदा कदा वीडियो सम्मेलन में शामिल होते थे। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे साक्षात्कार के लिए निर्धारित स्थान पर आएं। ब्यूरो की बैठकों और अभ्यर्थियों के साथ वार्तालाप संचालन हेतु आभासी, सुरक्षित और निरापद प्रणाली का सृजन करने के प्रयोजन से ब्यूरो ने सिसको वेबेक्स वीडियो सम्मेलन हेतु लाइसेन्स का अधिक्रय किया है। ब्यूरो ने वेबेक्स प्रणाली के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाएं, करार और प्रोटोकाल डिजाइन किया है। मार्च 2020 के बाद से ब्यूरो ने सभी साक्षात्कारों और बैठकों का आयोजन ऑनलाइन ही किया है और अभ्यर्थियों अथवा सदस्यों में से किसी को भी किसी वैकल्पिक स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

XI. प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां : सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंक, बीमा कंपनियां और वित्तीय संस्थान, जो इस समय इस ब्यूरो के दायरे में आते हैं, उन सब से आने वाली रकम को प्राप्तियां माना गया है। व्ययों (किए जा चुके और अनुमानित) को संस्था वर्गों यथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के बीच ब्यूरो द्वारा सर्विस की गई रिक्तियों के समानुपात में विभाजित कर दिया जाता है। विद्यमान निदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए नोडल संस्था भारतीय स्टेट बैंक है, बीमा कंपनियों के लिए इरडाई है और वित्तीय संस्थानों के लिए नाबार्ड है। वर्ष 2019-20 की देयताएं भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड और आईआरडीएआई से प्राप्त हो चुकी हैं।

वर्ष 2019-20 के बाद से अनुमेय संशोधित एसीसी दिशानिदेशों के अनुसार ब्यूरो से अपेक्षित है कि अपने व्ययों का अनुमान लगाते हुए संबंधित वर्ष के लिए पहली अप्रैल को रिक्तियों के समानुपात में इसका विभाजन संबंधित संस्थानों के बीच करे। तदनुसार, ब्यूरो ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने व्ययों का अनुमान लगा लिया है और भारतीय स्टेट बैंक, आईआरडीएआई और नाबार्ड को अपनी मांग भेज दी है। भारतीय स्टेट बैंक और नाबार्ड से भुगतान प्राप्त हो चुके हैं जबकि आईआरडीएआई से अभी बकाया है।

ब्यूरो की प्राप्तियों और भुगतानों का संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे गए खाते के माध्यम से किया जाता है।

भुगतान : मुंबई में किराए पर लिए गए परिसर हेतु लीज रेन्टल और कार्मिकों की लागत के प्रमुख भुगतानों की प्रतिपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक को कर दी जाती है। यह व्यय ब्यूरो के लिए बार-बार होने वाले व्यय में है।

अभ्यर्थियों के आकलन और पृष्ठभूमि सत्यापन के लिए बाहरी एचआर एजेन्सी के प्रभारों पर व्यय किया जाता है।

ब्यूरो की कोई भी स्थायी आस्तियां नहीं हैं क्योंकि अधिकांश फिक्सचर, फर्नीचर और कम्प्यूटर हार्डवेयर आदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हार्डवेयर की छोटी-छोटी वस्तुओं को राजस्व व्यय माना जाता है।

दक्षता की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2019-20 में प्रतिभा अधिग्रहण लागत (कुल व्यय को रिक्तियों की संख्या से विभाजित करते हुए) प्रति रिक्ति रु.17.4 लाख आया है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण

(रुपये)

भुगतान			प्राप्तियां		
विवरण	**राशि**	**राशि**	**विवरण**	**राशि**	**राशि**
विज्ञापन प्रभार		32,83,510	प्राप्त प्रतिपूर्तियां		
कार्मिकों पर लागत		1,46,49,474	भारतीय स्टेट बैंक		1,06,41,265
स्टाफ कल्याण पर व्यय		6,32,104			
किराए पर व्यय		63,90,000	**वर्ष के लिए और परावर्ती वर्ष के लिए प्राप्त होने वाली प्रतिपूर्तियों (प्राप्तियों) की तुलना में व्यय का आधिक्य (भुगतान)**		2,06,34,952
यात्रा पर व्यय					
किराया	8,84,353				
होटल प्रभार	4,68,595				
कार किराए पर लेना	2,02,537	15,55,485			
बाहरी एचआर एजेन्सियों के प्रभार		18,46,700	(कथित रकम में से रु.1,56,38,108/- की रकम 30 जून 2020 को नाबार्ड से प्राप्त हुई)		
सिटिंग प्रभार					
एलडीपी[6] हेतु विशेषज्ञ	1,20,000				
एफआइ विशेषज्ञ सदस्य	8,00,000				
पीएसबी विशेषज्ञ सदस्य	10,50,000	19,70,000			
आस्तियों की खरीद					
कार्यालय उपकरण	1,91,119				
कार्यालय का फर्नीचर	1,70,144				
कार्यालय की आंतरिक सज्जा	40,497	4,01,760			
सॉफ्टवेयर प्रभार		97,451			
मुद्रण, पोस्टेज, लेखन-सामग्री, उपभोज्य वस्तुएं		2,77,236			
दूरसंचारण प्रभार		28,106			
विविध व्यय		1,44,391			
कुल		**3,12,76,217**	**TOTAL**		**3,12,76,217**

6. लीडरशिप विकास कार्यक्रम के तहत लाइव प्रोजेक्टों की समीक्षा के लिए गठित पैनल के सदस्यों को भुगतान की गई सिटिंग फीस।

एससीए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

501-डी, पांचवीं मंजिल
पूनम चैम्बर्स ए विंग
डॉ.एनी बेसेंट रोड, वर्ली,
मुंबई400018-
फोन -24960407 022
ईमेल-mail@scaassociates.com
वेवसाइट-www.scaandassociates.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सचिव
बैंक बोर्ड ब्यूरो

अभिमत

1. हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) की प्राप्तियों और भुगतानों (विवरण) के विवरण की लेखापरीक्षा की। इस विवरण को बैंक बोर्ड ब्यूरो के प्रबंधन वर्ग द्वारा तैयार किया गया ताकि बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किए गए भुगतानों और तदनुरूपी प्राप्तियों / होने वाली प्राप्तियों की सत्य और उचित प्रस्तुति की जा सके।

2. हमारे अभिमत से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक बोर्ड ब्यूरो की प्राप्तियों और भुगतानों के बारे में इस विवरण में सत्य और उचित प्रस्तुति है।

अभिमत हेतु आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर की। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के विवरण खंड के लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के दायित्वों में दिए गए हैं। आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता संहिता का अनुसरण करते हुए हम बैंक बोर्ड ब्यूरो से स्वतंत्र हैं और हमने इस नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को भी पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखा परीक्षा के जो भी साक्ष्य हमने प्राप्त किए वे हमारे अभिमत हेतु पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हैं।

विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

4. इस विवरण को तैयार करने और उचित प्रस्तुति हेतु बैंक बोर्ड ब्यूरो का दायित्व है ताकि बैंक बोर्ड ब्यूरो के भुगतानों और उनके समानुरूप प्राप्तियों का सत्य और उचित प्रकटीकरण हो सके। इस दायित्व में पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव और विवरण को तैयार करने और उचित प्रस्तुति हेतु सुसंबद्ध आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं ताकि यह विवरणी धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण किसी भी वास्तविक अपविवरण से मुक्त रहे।

विवरण की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का दायित्व

5. हमारा उद्देश्य है कि इस बारे में समुचित भरोसा प्राप्त करें कि समग्र रूप से यह विवरण सभी प्रकार के वास्तविक अपविवरणों से मुक्त है, चाहे यह धोखाधड़ी के कारण हो सकता हो या त्रुटि के कारण, और फिर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करें जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। पर्याप्त सुनिश्चितता एक प्रकार से उच्च स्तरीय सुनिश्चितता होती है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा के मानको के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में जब भी कोई वास्तविक अपविवरण हुआ है तो हमेशा ही कोई वास्तविक अपविवरण पकड़ में आएगा। किसी भी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण अपविवरण हो सकते हैं, और इन्हें वास्तविक माना जाता है, यदि अलग-अलग अथवा सम्यक तौर पर इस विवरण के आधार पर प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों पर पर्याप्त रूप से प्रभाव पड़ना प्रत्याशित हो।

6. लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के तौर पर हम पूरी लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संशयवाद बरकरार रहता है। हम वक्तव्य में वास्तविक अपविवरण के जोखिम को भी अभिनिर्धारित करते हैं और उसका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण अथवा त्रुटि के कारण हो, इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा का प्रतिसादात्मक डिजाइन और निष्पादन करते हैं, और अपने अभिमत के आधार स्वरूप पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी से

एससीए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

501-डी, पांचवीं मंजिल
पूनम चैम्बर्स ए विंग
डॉ.एनी बेसेंट रोड, वर्ली,
मुंबई400018-
फोन -24960407 022
ईमेल-mail@scaassociates.com
वेवसाइट-www.scaandassociates.com

पैदा होने वाले वास्तविक अपविवरण को नहीं पकड़ पाने का जोखिम त्रुटियों के कारण होने वाले अपविवरण से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, अपप्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रणों को ओवरराइड करना निहित होता है।

7. इस लेखा परीक्षा हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की ताकि परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा परीक्षा पद्धति डिजाइन की जा सके।

8. वितरण अथवा प्रयोग पर प्रतिबंध

इसके साथ दिया जा रहा विवरण केवल बैंक बोर्ड ब्यूरो की जानकारी के लिए ही तैयार किया गया है और इसलिए यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए उचित नहीं हो सकेगा। यह रिपोर्ट केवल उपरोल्लिखित प्रयोजन से जारी की गई है और बिना हमारी लिखित सहमति के इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन या किसी अन्य पार्टी को संदर्भ अथवा वितरण के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बिना हमारी लिखित सहमति के यदि किसी अन्य को दिखाई जाती है या उसके हाथ पड़ जाती है तो किसी अन्य प्रयोजन या अन्य व्यक्ति की वजह से हम किसी दायित्व को स्वीकार अथवा अंगीकार नहीं करेंगे।

कृते एससीए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 101174डब्ल्यू

ह/-

शिवरतन अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या:104180
यूडीआईएन:20104180एएएएएचएएल2236
मुंबई, 06 जुलाई 2020

बैंक्स बोर्ड ब्यूरो

BANKS BOARD BUREAU

4th floor, Reserve Bank of India
Byculla Office Building,
Mumbai Central,
Mumbai - 400 008

चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक,
डॉ आनंद राव नायर मार्ग, मुंबई सेंट्रल,
मुंबई - ४०० ००१